मध्यप्रदेश विधान सभा

सदन की कार्यवाही का

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग - एक)

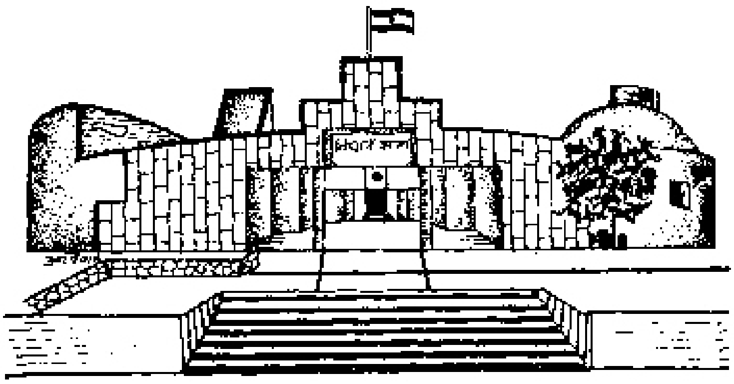

नवीन विधान सभा भवन, भोपाल

षोडश विधान सभा (तृतीय सत्र)

दिनाँक 1 से 19 जुलाई, 2024

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल

विषय-सूची
षोडश विधान सभा – तृतीय सत्र
दिनाँक 1 से 19 जुलाई, 2024

बैठक क्र.	कार्यवाही की विषय सूची	पृष्ठ

---

1. सोमवार, दिनाँक 1 जुलाई, 2024

1. राष्ट्रगीत "वन्दे मातरम्" का समूहगान
2. बधाई उल्लेख : मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनावों में भाजपा की विजय पर बधाई.
3. निधन का उल्लेख
4. बधाई उल्लेख : श्री उपेन्द्र द्विवेदी, थलसेना प्रमुख एवं श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी, नौसेना अध्यक्ष बनने पर सदन द्वारा बधाई.
5. प्रश्नोत्तर
6. बधाई एवं शुभकामनाएं : सर्वश्री जगदीश देवड़ा, गोविन्द सिंह राजपूत, दिलीप अहिरवार, गोपाल भार्गव, श्रीमती रीती पाठक, श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, के जन्म दिन पर बधाई.
7. अध्यक्षीय घोषणा : आयकर संबंधी उल्लेख
8. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना
9. अध्यक्षीय व्यवस्था : विपक्ष के सदस्यों द्वारा नर्सेस काउंसिल संबंधी स्थगन प्रस्ताव की दी गई सूचना पर सदन में चर्चा की मांग की जाना.
10. नियम 267-क के अधीन विषय
11. फरवरी, 2024 सत्र की स्थगित बैठकों की प्रश्नोत्तर सूची तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-1 पटल पर रखा जाना.
12. नियम 267-क के अधीन फरवरी, 2024 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.
13. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना
14. ध्यानाकर्षण :
   (1) इंदौर-बुधनी रेल लाईन हेतु अधिग्रहित भूमि का कम मुआवजा दिये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण सदस्य की अनुपस्थितिवश प्रस्तुत नहीं हो सका.

बैठक क्र. कार्यवाही की विषय सूची पृष्ठ

(2) मुरैना शहर के आवासीय क्षेत्र में मकानों के ऊपर विद्युत हाईटेंशन लाईन डाले जाने से उत्पन्न स्थिति.

15. अध्यक्षीय घोषणा : सदन के समय में वृद्धि विषयक
16. अनुपस्थिति की अनुज्ञा
17. अध्यक्षीय घोषणा :

(1) विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

(2) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मण्डल हेतु तीन सदस्यों का निर्वाचन.

2. मंगलवार, दिनाँक 2 जुलाई, 2024

1. प्रश्नोत्तर
2. बधाई एवं शुभकामनाएं : श्री राजेश कुमार वर्मा एवं श्री महेन्द्र केशरसिंह चौहान सदस्यगण को जन्मदिवस पर बधाई एवं शुभकामनाएं.
3. शासकीय वक्तव्य : भारतीय दण्ड संहिता 1860 में तीन नवीन न्याय संहिताओं के प्रतिस्थापन संबंधी
4. पत्रों का पटल पर रखा जाना
5. नियम 267-क के अधीन विषय
6. बहिर्गमन एवं व्यवधान के कारण कार्यवाही स्थगित की जाना
7. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन (स्वीकृत)
8. ध्यानाकर्षण :

(1) इंदौर-बुधनी रेल लाईन हेतु अधिग्रहित भूमि का कम मुआवजा दिए जाने संबंधी

9. अध्यक्षीय व्यवस्था : आज की कार्यसूची में उल्लेखित ध्यानाकर्षण क्रमांक-2 संबंधी घोषणा एवं व्यवस्था.
10. ध्यानाकर्षण (क्रमशः)

(2) मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल द्वारा नर्सिंग कालेजों को नियम विरूद्ध मान्यता दिये जाने.

11. औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था :

(1) बिना अनुमति के कागज दिखाने (प्रदर्शन) की अनुमति नहीं होने के संबंध में व्यवस्था.

12. अध्यक्षीय घोषणा : सदन के समय में वृद्धि विषयक
13. औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमशः) :

(2) जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं हैं, उसका नाम लेकर आरोप लगाए जाने की अनुमति न दी जाना.

बैठक क्र. कार्यवाही की विषय सूची पृष्ठ

----

14. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)
15. अध्यक्षीय घोषणा : सदन के समय में वृद्धि विषयक
16. गर्भगृह में प्रवेश एवं नारेबाजी : इंडियन नेशनल काँग्रेस के अनेक सदस्यगण द्वारा एक सर्वदलीय समिति बनाने की मांग करते हुए गर्भ गृह में प्रवेश एवं नारेबाजी.
17. अनुपस्थिति की अनुज्ञा
18. याचिकाओं की प्रस्तुति
19. अध्यक्षीय घोषणा : शासकीय विधि विषयक कार्य
20. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 9 सन् 2024) (पुर:स्थापित)

(2) मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024) (पुर:स्थापित)

(3) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024) (पुर:स्थापित)

(4) मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 9 सन् 2024) (पारित)

(5) मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024) (पारित)

21. बहिर्गमन
22. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(6) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024) (पारित)

3. बुधवार, दिनाँक 3 जुलाई, 2024

1. औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था : विगत दिवस नर्सिंग काउंसिल संबंधी ध्यानाकर्षण पर चर्चा के उत्तर में सहकारिता मंत्री द्वारा कथित रूप से सदन को गुमराह किए जाने पर दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर चर्चा एवं विपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रकरण में जाँच की मांग की जाना.
2. वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक का उपस्थापन
3. गर्भ गृह में प्रवेश एवं बहिर्गमन : इंडियन नेशनल काँग्रेस के सदस्यगण द्वारा नर्सिंग काउंसिल की मान्यता संबंधी विगत दिवस मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल द्वारा नर्सिंग कॉलेजों को नियम विरूद्ध मान्यता दिये जाने संबंधी चर्चित ध्यानाकर्षण पर सर्वदलीय समिति से जाँच संबंधी मांग को लेकर गर्भगृह में प्रवेश एवं कुछ समय पश्चात् सदन से बहिर्गमन.

बैठक क्र. कार्यवाही की विषय सूची पृष्ठ

4. औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमश:) : विपक्ष के सदस्यों द्वारा आय-व्ययक उपस्थापन के दौरान व्यवधान से कार्यवाही बाधित की जाना.

3. गुरूवार, दिनाँक 4 जुलाई, 2024

1. निधन का उल्लेख : श्री विराग सागर जी महामुनिराज की महासमाधि संबंधी उल्लेख.
2. प्रश्नोत्तर
3. शासकीय वक्तव्य : ‘‘लोक पथ’’ एप लांच करने के संबंध में लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य.
4. विशेष उल्लेख : एक माननीय मंत्री द्वारा वेतन समर्पण करने संबंधी उल्लेख.
5. नियम 267-क के अधीन विषय
6. अध्यक्षीय व्यवस्था : विशेषाधिकार भंग की सूचना परीक्षणाधीन होना.
7. पत्रों का पटल पर रखा जाना
8. अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमश:)
9. ध्यानाकर्षण :

(1) प्रदेश में संचालित यूनानी महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम को हिन्दी में न पढ़ाया जाना.

(2) प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन न मिलना

10. अनुपस्थिति की अनुज्ञा
11. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति (स्वीकृत)
12. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन (स्वीकृत)
13. बधाई एवं शुभकामनाएं : कु. निर्मला भूरिया एवं श्री चन्दर सिंह सिसौदिया को जन्मदिन की बधाई.
14. याचिकाओं की प्रस्तुति
15. अध्यक्षीय घोषणा : भोजनावकाश न होना
16. लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिए 11-11 सदस्यों का निर्वाचन.
17. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन.
18. पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन
19. निर्वाचन कार्यक्रम

बैठक क्र. कार्यवाही की विषय सूची पृष्ठ

----

20. शासकीय विधि विषयक कार्य :
 (1) मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024) का पुर:स्थापन.
 (2) मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024) का पुर:स्थापन.
 (3) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 14 सन् 2024) का पुर:स्थापन.
 (4) मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024) का पुर:स्थापन.
 (5) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 16 सन् 2024) का पुर:स्थापन.
 (6) मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक, 2024 (क्रमांक 17 सन् 2024) का पुर:स्थापन.
21. अध्यक्षीय घोषणा :
 (1) बजट पर सामान्य चर्चा में पहले भाग लेने वाले सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को विभागवार चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया जाना.
 (2) ज्वलंत विषय के ध्यानाकर्षण पर पूर्व में की गई विस्तृत चर्चा को परंपरा या पूर्वोदाहरण न बनाया जाना.
22. वर्ष 2024-25 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा
23. अध्यक्षीय घोषणा : सदन के समय में वृद्धि विषयक
24. वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)
25. अध्यक्षीय घोषणा : सदन के समय में वृद्धि विषयक
26. वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)
27. अध्यक्षीय घोषणा : जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रबंध मंडल के लिए निर्विरोध निर्वाचन.

5. शुक्रवार, दिनाँक 5 जुलाई, 2024
1. प्रश्नोत्तर
2. बहिर्गमन : इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या-10 में "जल जीवन मिशन" के अंतर्गत किये गये कार्यों की जांच न कराये जाने एवं शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन.

बैठक क्र. **कार्यवाही की विषय सूची** **पृष्ठ**

---

3. अध्यक्षीय घोषणा : जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा और क्रियान्वयन किया जाना.
4. नियम 267-क के अधीन विषय
5. अध्यक्षीय व्यवस्था : विगत दिवस नर्सिंग घोटाले के संबंध में ध्यानाकर्षण पर हुई चर्चा के दौरान माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग के वक्तव्य में भ्रमित दिये जाने के जानकारी संबंध में लिखे गये पत्र संबंधी
6. पत्रों का पटल पर रखा जाना
7. ध्यानाकर्षण :
(1) बुरहानपुर नगर की जल आवर्धन योजना का कार्य पूर्ण न होना
(2) पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में रपटा एवं सड़क मार्गों का निर्माण न होना
8. बधाई एवं शुभकामनाएं : श्री रामेश्वर शर्मा एवं श्री राजन मण्डलोई, सदस्यगण को जन्म दिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं.
9. याचिकाओं की प्रस्तुति
10. स्वागत उल्लेख : श्री भारत सिंह कुशवाह, माननीय सांसद ग्वालियर की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर स्वागत उल्लेख.
11. शासकीय विधि विषयक कार्य :
(1) मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024) (पारित)
12. अध्यक्षीय घोषणा : भोजनावकाश न होना, सहभोज एवं भुट्टा पार्टी का आयोजन.
13. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:) :
(2) मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024) (पारित)
(3) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 14 सन् 2024) (पारित)
(4) मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024) (पारित)

बैठक क्र. कार्यवाही की विषय सूची पृष्ठ

(5) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 16 सन् 2024) (पारित)

(6) मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक, 2024 (क्रमांक 17 सन् 2024) (पारित)

14. आय-व्ययक वर्ष 2024-25 में उल्लेखित विभागीय अनुदान की मांगों पर मतदान के साथ अन्य आवश्यक शासकीय कार्य आज ही पूर्ण किया जाना संबंधी प्रस्ताव (स्वीकृत)

15. वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर मुखबंध (गिलोटिन): प्रस्ताव

मांग संख्या – 1	सामान्य प्रशासन
मांग संख्या – 2	विमानन
मांग संख्या – 3	गृह
मांग संख्या – 5	जेल
मांग संख्या – 11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन
मांग संख्या – 21	लोक सेवा प्रबंधन
मांग संख्या – 25	खनिज साधन
मांग संख्या – 29	विधि और विधायी कार्य
मांग संख्या – 32	जनसंपर्क
मांग संख्या – 41	प्रवासी भारतीय
मांग संख्या – 46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
मांग संख्या – 48	नर्मदा घाटी विकास
मांग संख्या – 57	आनंद
मांग संख्या – 6	वित्त
मांग संख्या – 7	वाणिज्यिक कर
मांग संख्या – 31	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी
मांग संख्या – 19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मांग संख्या – 52	चिकित्सा शिक्षा
मांग संख्या – 33	जनजातीय कार्य

बैठक क्र.	कार्यवाही की विषय सूची	पृष्ठ
मांग संख्या – 42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	
मांग संख्या – 45	लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन	
मांग संख्या – 22	नगरीय विकास एवं आवास	
मांग संख्या – 28	राज्य विधान मण्डल	
मांग संख्या – 18	श्रम	
मांग संख्या – 30	ग्रामीण विकास	
मांग संख्या – 40	पंचायत	
मांग संख्या – 24	लोक निर्माण कार्य	
मांग संख्या – 8	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	
मांग संख्या – 27	स्कूल शिक्षा	
मांग संख्या – 36	परिवहन	
मांग संख्या - 20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	
मांग संख्या – 23	जल संसाधन	
मांग संख्या - 13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	
मांग संख्या - 55	महिला एवं बाल विकास	
मांग संख्या - 39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	
मांग संख्या - 43	खेल और युवा कल्याण	
मांग संख्या - 17	सहकारिता	
मांग संख्या - 34	सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण	
मांग संख्या - 50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	
मांग संख्या – 4	पर्यावरण	
मांग संख्या - 10	वन	
मांग संख्या - 49	अनुसूचित जाति कल्याण	
मांग संख्या - 12	ऊर्जा	
मांग संख्या – 9	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	
मांग संख्या - 35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	
मांग संख्या - 44	उच्च शिक्षा	
मांग संख्या - 38	आयुष	

बैठक क्र.	कार्यवाही की विषय सूची	पृष्ठ
	मांग संख्या - 47 तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार	
	मांग संख्या - 15 घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति	
	मांग संख्या - 53 अल्प संख्यक कल्याण	
	मांग संख्या - 54 पिछड़ा वर्ग कल्याण	
	मांग संख्या - 26 संस्कृति	
	मांग संख्या - 37 पर्यटन	
	मांग संख्या - 51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व	
	मांग संख्या - 56 कुटीर एवं ग्रामोद्योग	
	मांग संख्या - 14 पशुपालन एवं डेयरी	
	मांग संख्या - 16 मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास (अनुदान मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत)	

16. गर्भगृह में प्रवेश एवं नारेबाजी : इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा विभागवार मांगों पर चर्चा की मांग करते हुए गर्भगृह में प्रवेश एवं नारेबाजी की जाना.
17. शासकीय विधि विषयक कार्य :
मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2024 (क्रमांक 18 सन् 2024) (पुर:स्थापित एवं पारित)
18. अध्यक्षीय घोषणा : सदन के समय में वृद्धि की जाना
19. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)
20. वर्ष 2014-15 के आधिक्य व्यय के विवरण का उपस्थापन
21. वर्ष 2014-15 के आधिक्य व्यय की अनुदान मांगों पर मतदान (स्वीकृत)
22. शासकीय विधि विषयक कार्य :
मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2024 (क्रमांक 19 सन् 2024) (पुर:स्थापित एवं पारित)
23. अध्यक्षीय घोषणा : अशासकीय संकल्प आगामी सत्र में लिये जाने विषयक
24. विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाना : प्रस्ताव (स्वीकृत)

बैठक क्र.	कार्यवाही की विषय सूची	पृष्ठ
	25. बहिर्गमन: इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा उनकी बात न सुने जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया जाना	
	26.राष्ट्रगान: "जन-गण-मन" का समूह-गान	
	27. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना : घोषणा	

षोडश विधान सभा के तृतीय सत्र संबंधी परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"	:	मंत्रि-परिषद् सूची
परिशिष्ट "दो"	:	माननीय सदस्यों की क्षेत्रवार वर्णात्मक सूची
परिशिष्ट "तीन"	:	सत्र आमंत्रण की अधिसूचना
परिशिष्ट "चार"	:	सत्र आमंत्रण संबंधी पत्रक भाग-दो
परिशिष्ट "पांच"	:	बैठकों की निर्धारित दिनदर्शिका
परिशिष्ट "छ:"	:	बैठकों की सामान्य सूची
परिशिष्ट "सात "	:	विभागवार प्रश्नोत्तरों के लिए निश्चित दिनाँक
परिशिष्ट "आठ "	:	सत्र संबंधी संक्षिप्त (सांख्यिकीय) जानकारी
परिशिष्ट "नौ "	:	बैठकों का विषयवार एवं दिनाँकवार समय विवरण (सारांश)

मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 1 जुलाई, 2024 (आषाढ़ 10, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए

1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

2. बधाई उल्लेख

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा मध्यप्रदेश में डॉ.मोहन यादव, मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में समस्त 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा की विजय का उल्लेख करते हुए सबको बधाई दी गई.

3. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोद्गार व्यक्त किये गए : -

(1) श्री हर्ष सिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(2) श्री चन्द्रप्रभाष शेखर, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(3) श्री विजय दुबे, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(4) श्री मकसूदनलाल चन्द्राकर, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(5) श्री शान्तिलाल बिलवाल, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(6) श्री बेनी परते, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(7) श्री जसवंतसिंह राठौर, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(8) श्री मदनलाल त्यागी, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(9) श्री विट्ठलराव महाले, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(10) डॉ. अजीज कुरैशी, उत्तरप्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल,
(11) डॉ. मनोहर जोशी, भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष,
(12) आचार्यश्री विद्यासागर महाराज, सुप्रसिद्ध जैन संत,
(13) जम्मू-कश्मीर के पुंछ एवं कठुआ जिलों एवं लेह लद्दाख में आतंकी हमलों एवं ड्यूटी पर शहीद जवान तथा
(14) डिण्डोरी जिले के शहपुरा के बड़झर घाट के पास वाहन दुर्घटना में मृत व्यक्ति.

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष, श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री, श्री विजय रेवनाथ चौरे, डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह, श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा और श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्यों द्वारा भी शोकोद्गार व्यक्त किये गए.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई. सदन द्वारा 5 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

तत्पश्चात् पूर्वाह्न 11.48 बजे दिवंगतों के सम्मान में विधान सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11:55 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

4. बधाई उल्लेख

श्री गिरीश गौतम, सदस्य ने उल्लेख किया कि मध्यप्रदेश की हमारे थलसेना प्रमुख श्री उपेन्द्र द्विवेदी और नौसेना के अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी जी की नियुक्ति से मध्यप्रदेश की 8 करोड़ जनता को गौरवान्वित होने का अवसर मिला है वे रीवा सतना के क्षेत्र से हैं इसलिए हम चाहते है कि इन्हें सबकी ओर से बधाई दी जाए, स्वागत किया जाए, यह मध्यप्रदेश की बहुत बड़ी उपलब्धि है.

5. प्रश्नोत्तर.

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 1 प्रश्न (प्रश्न संख्या 1) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 68 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 104 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

6. बधाई एवं शुभकामनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्वश्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), श्री गोविंद सिंह राजपूत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, दिलीप अहिरवार, राज्य मंत्री, वन, गोपाल भार्गव, श्रीमती रीती पाठक एवं श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, सदस्यगण के जन्म दिन पर उन्हें अपनी और सदन की ओर से शुभकामनाएं दी गईं.

7. अध्यक्षीय घोषणा : आयकर संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि- पिछले दिनों मुख्यमंत्री महोदय ने यह निर्णय किया कि सभी मंत्रीगण अपना आयकर सरकार के स्थान पर स्वयं भरेंगे.यह निर्णय सराहनीय है माननीय मुख्यमंत्री के निर्णय की सराहना करता हुँ साथ ही, विधान सभा अध्यक्ष के नाते मेरे द्वारा भी अपना आयकर भरा जाएगा. विधान सभा पर उसका भार नहीं आएगा. तदुपरांत श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने भी उल्लेख किया कि वे एवं उपाध्यक्ष भी स्वयं ही आयकर भरेंगे, यह भी व्यवस्था इसमें शामिल है.

8. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना.

श्री गौतम टेटवाल, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री ने (डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत), भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार –
(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) एवं
(ख) मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024) पटल पर रखे.

9. अध्यक्षीय व्यवस्था

विपक्ष के सदस्यों द्वारा नर्सेस काउंसिल संबंधी स्थगन प्रस्ताव की दी गई सूचना पर सदन में चर्चा की मांग की जाना.

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी से अनुरोध किया कि कॉंग्रेस पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों ने चिकित्सा शिक्षा विभाग संबंधी एक महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन प्रस्ताव दिया है, अत: आप इस प्रस्ताव पर चर्चा कराने हेतु निर्देशित करें.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आसंदी के माध्यम से यह पांइट आफ आर्डर उठाया गया कि, "मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी पुस्तिका के नियम 55-क में न्यायाधिकरण, आयोग आदि में विचाराधीन विषयों की चर्चा उठाने के प्रस्ताव के संबंध में बहुत स्पष्ट प्रावधान

दिया है कि - "साधारणतया ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिए हो, जो किसी न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक कृत्य करने वाली किसी सांविधिक न्यायाधिकरण या सांविधिक प्राधिकारी या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लंबित हो." यह प्रकरण उच्च न्यायालय में भी चल रहा है, माननीय उच्च न्यायालय ने एक माननीय न्यायाधीश की एक समिति भी बना दी है और सी.बी.आई, भी इ्न्हीं तथ्यों पर जाँच कर रही है. अत: इस सदन में इस विषय पर चर्चा उठाना उचित नहीं होगा. श्री उमंग सिंघार ने मत व्यक्त किया कि हमारी सूचना का विषय न्यायालय से संबंधित नहीं है. हम नर्सेस काउंसिल के राजपत्र में प्रकाशित नियम पर चर्चा चाह रहे हैं.

(कुछ माननीय सदस्यों के विचारोपरान्त) अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि,"अभी हमारे पास चर्चा के अनेक अवसर रहेगे जिनमें हम स्थगन के अलावा भी अपनी बात को रख सकते हैं. आज ही स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं मिली हैं, जिन पर शासन से जानकारी भी मांगी गई है, इस मामले में हम लोग विचार करेंगे. सामान्य तौर पर स्थगन प्रस्ताव के बारे में यह प्रक्रिया रही है कि बजट-सत्र हो या न्यायालय में कोई भी विचाराधीन विषय हो तो उन पर सदन में चर्चा नहीं होती है. किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए अनेक नियम हैं और हम लोग निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे कि किस नियम के अंतर्गत चर्चा हो.

उपर्युक्त स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग पर व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 12.13 से 1.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाकर तदुपरांत 1.01 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

श्री उमंग सिंघार ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की पुनः मांग की. श्री कैलाश विजयवर्गीय ने मत व्यक्त किया कि हम चर्चा कराने को तैयार हैं लेकिन तत्काल यदि कोई घटना होती है तो उसके ऊपर स्थगन आता है किन्तु यह तो बहुत पुराना प्रकरण है.

डॉ मोहन यादव, मुख्यमंत्री ने शासन की ओर से सदन को आश्वस्त किया कि हमारी सरकार सभी विषयों में गंभीर है हम पीछे हटने वाले नहीं हैं अभी जैसा माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने कहा है और माननीय नेता प्रतिपक्ष जो मांग कर रहे हैं इस पर बेहतर यह होगा कि हम इसको ध्यानाकर्षण के माध्यम से चर्चा हेतु अगली बार ग्राह्य कर लें तो हम सबको कोई परेशानी नहीं है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि, "माननीय नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी-अपनी बातें रखी हैं हम सब इस बात को भली-भांति जानते हैं कि यह सदन चर्चा के लिए है और चर्चा के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इच्छुक हैं. सब विषय के प्रति चिंतित हैं निश्चित रूप से दोनों पक्षों को मैंने सुना है लेकिन सदन नियम, प्रक्रियाओं और परंपराओं से चलता है. पुरानी भी बहुत सारी परंपराएं हैं. स्थगन लेने के पीछे जो मूल भावना आवश्यक होती है वह है अविलंबनीय लोक महत्व की आपात स्थिति, इसलिए स्थगन की इस भावना को भी कमजोर नहीं करना चाहिए मैंने सदन के दोनों पक्षों की बात को सुना है और अलग से भी कक्ष में बात की है. मैं प्रतिपक्ष को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसको आप दोनों लोगों ने मुझ पर छोड़ने के लिए कहा है. मैं कल प्रश्नकाल के बाद उपयुक्त समय पर और उचित नियम के तहत् इस पर चर्चा कराऊंगा. सरकार ने भी कह दिया है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं."

10. नियम 267-क के अधीन

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार –

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की इटारसी में होम्योपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोला जाना,

(2) सुश्री रामश्री राजपूत (रामसिया भारती), सदस्य की छतरपुर जिले की नगर पालिकाओं में खरीदी में आर्थिक अनियमितता किया जाना,

(3) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य की टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधान सभा क्षेत्र में जमीनों के रिकार्ड में हेरा-फेरी किया जाना,

(4) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के खरगापुर तहसील में भू- माफिया के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किया जाना,

(5) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की मण्डला-रायपुर सड़क मार्ग स्थित बिछिया में बायपास का निर्माण न किया जाना,

(6) श्री विपिन जैन, सदस्य की मंदसौर शहर के व्यस्ततम बाजार कालाखेत व उससे लगे क्षेत्र में साठिया समाज के परिवारों द्वारा अतिक्रमण कर कब्जे किया जाना,

(7) श्री महेश परमार, सदस्य की शासकीय हाईस्कूल देवनखेड़ी को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया जाना,

(8) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य की जिला भिण्ड द्वारा ग्राम दतावली में तालाब गहरीकरण एवं मरघट बनाने की अनुशंसा के बाद भी कार्यवाही नहीं किया जाना,

(9) श्रीमती अर्चना चिटनीस, सदस्य की प्रदेश में मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों का बीमा किया जाना तथा

(10) श्री भैरो सिंह बापू, सदस्य की सुसनेर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न गॉवों को कुंडालिया परियोजना में सम्मिलित किये जाने संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

11. फरवरी, 2024 सत्र की स्थगित बैठकों की प्रश्नोत्तर सूची तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-1 पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय ने फरवरी, 2024 सत्र की स्थगित बैठकों की प्रश्नोत्तर सूची तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-1 पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

12. नियम 267-क के अधीन फरवरी, 2024 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन फरवरी, 2024 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

13. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया है कि मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्र में पारित 7 विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है यह विधेयक अधिनियम क्रमांक 1,2,3,4,5,6 एवं 7 सन् 2024 के रूप में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किये गये हैं. अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जाएंगे :-

(1) मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2024 (क्रमांक 4 सन् 2024)
(2) मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024)
(3) मध्यप्रदेश माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024)
(4) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8 सन् 2024)
(5) मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2024 (क्रमांक 7 सन् 2024)
(6) मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024)
(7) मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2024 (क्रमांक 6 सन् 2024)

14. ध्यानाकर्षण.

(1) **श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य की अनुपस्थितिवश** इंदौर-बुधनी रेल लाईन हेतु अधिग्रहित भूमि का कम मुआवजा दिये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्तुत नहीं हो सका.

(2) **श्री दिनेश गुर्जर, सदस्य ने** मुरैना शहर के आवासीय क्षेत्र में मकानों के ऊपर विद्युत हाईटेंशन लाईन डाले जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने चर्चा का उत्तर दिया.

{सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.}

15. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि विषयक.

सभापति महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्य सूची में उल्लेखित कार्यवाही पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की गई.

16. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

सभापति महोदय ने सदन की सहमति से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 127-परासिया (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री सोहनलाल बाल्मीक को विधान सभा के जुलाई, 2024 सत्र में दिनांक 1 जुलाई से 10 जुलाई, 2024 तक की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की.

17. अध्यक्षीय घोषणा

(i) विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

सभापति महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 123-अमरवाड़ा (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री कमलेश प्रताप शाह एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 156-बुधनी से निर्वाचित सदस्य, श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा विधान सभा के अपने-अपने स्थानों से त्याग-पत्र दिए जाने संबंधी घोषणा की गई.

(ii) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मण्डल हेतु तीन सदस्यों का निर्वाचन.

श्री एदल सिंह कंषाना, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मण्डल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर होने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव को सदन द्वारा स्वीकृति दिये जाने के पश्चात् सभापति महोदय द्वारा तत्संबंधी निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई.

अपराह्न 1.35 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 2 जुलाई, 2024 (आषाढ़ 11 शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

मंगलवार, दिनांक 2 जुलाई, 2024 (आषाढ़ 11, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 9 प्रश्नों (प्रश्न संख्या **1,2,3,4,5,6,7,8,9**) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 48 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 83 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. बधाई एवं शुभकामनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्वश्री राजेश कुमार वर्मा एवं महेन्द्र केशरसिंह चौहान, सदस्यगण के जन्म दिन पर उन्हें अपनी और सदन की ओर से शुभकामनाएं दी गईं.

3. शासकीय वक्तव्य

डॉ.मोहन यादव, मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से तीन नवीन न्याय संहिताओं---"भारतीय दण्ड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता अधिनियम, 2023 द्वारा, दण्ड प्रक्रिया संहिता (1898) 1973 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम, 2023 द्वारा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के संबंध में वक्तव्य दिया. डॉ.सीतासरन शर्मा, सदस्य ने मुख्यमंत्री महोदय , भारत सरकार और श्री नरेन्द्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखा.

(2) श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के स्थान पर श्रीमती राधा रविन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2022-23 पटल पर रखी.

(3) श्री उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने समग्र शिक्षा अभियान मध्यप्रदेश की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2022-23 पटल पर रखी.

(4) श्री नागर सिंह चौहान, पर्यावरण मंत्री ने मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखा.

(5) श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री ने मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक 692/मप्रविनिआ/2024, दिनांक 14 मार्च, 2024,
(ख) क्रमांक 691/एमपीईआरसी/2024, दिनांक 14 मार्च, 2024,
(ग) क्रमांक मप्रविनिआ/2023/180, दिनांक 17 जनवरी, 2024,
(घ) क्रमांक एमपीईआरसी/2024/480, दिनांक 20 फरवरी, 2024,
(ङ) क्रमांक 233/मप्रविनिआ/2024, दिनांक 22 जनवरी, 2024,
(च) क्रमांक 1236/मप्रविनिआ/2024, दिनांक 24 मई, 2024,
(छ) क्रमांक 1239/मप्रविनिआ/2024, दिनांक 24 मई, 2024,
(ज) क्रमांक 1238/एमपीईआरसी/2024, दिनांक 24 मई, 2024,
(झ) क्रमांक मप्रविनिआ/2024/220, दिनांक 19 जनवरी, 2024, एवं
(ञ) क्रमांक 616/एमपीईआरसी/2024, दिनांक 05 मार्च, 2024 पटल पर रखी.

(6) श्री चेतन्य कुमार काश्यप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ने मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 58 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 पटल पर रखा.

(7) (मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत) श्री दिलीप अहिरवार, राज्य मंत्री, वन ने जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला झाबुआ, उमरिया एवं रीवा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखा.

5. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार –

(1) सुश्री रामश्री राजपूत (रामसिया भारती), सदस्य की छतरपुर जिले में शिक्षकों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिये परीक्षा में बैठने की अनुमति न मिलने,

(2) श्री विपिन जैन, सदस्य की घोड़ा रोज व जंगली सूअरों के आतंक से किसानों की फसलों को नुकसान होना,

(3) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य की उमरबन क्षेत्र के अतंर्गत विकास कार्यो की स्वीकृति राशि जारी न की जाना,

(4) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की कर्रापुर क्षेत्र जिला सागर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने,

(5) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की हरदा जिले के बैरागढ़ स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट से बेघर हुए पीड़ित लोगों को आर्थिक सहायता दिये जाने,

(6) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य की सहायक उप निरीक्षक के रोके गये वेतन का भुगतान कराये जाने,

(7) श्री दिनेश राय, सदस्य की मध्यप्रदेश में औषधियों के मूल्यों में प्रभावी नियंत्रण न हो पाने,

(8) श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य की ग्राम हिनौती ग्राम पंचायत कूड़ा धनिया स्थित पशु औषधालय में हितग्राहियों को समय पर शासकीय सुविधाओं का लाभ न मिल पाने,

(9) श्री मधु भाऊ भगत, सदस्य की बालाघाट जिले में सेवा सहकारी समिति संस्था में डी.ए.पी. खाद की आपूर्ति न होने तथा

(10) श्रीमती अर्चना चिटनीस, सदस्य की बुरहानपुर में लालबाग चिन्चाला ओवर ब्रिज का कार्य पूर्ण न होने

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

6. बहिर्गमन एवं व्यवधान के कारण कार्यवाही स्थगित की जाना

डॉ सीतासरन शर्मा, सदस्य द्वारा कल लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता द्वारा हिन्दू समाज के बारे में की गई टिप्पणी का जिक्र किया. इस से असंतुष्ट होकर श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण ने सदन से बहिर्गमन किया.

डॉ सीतासरन शर्मा, सदस्य द्वारा कल लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता जी द्वारा की गई टिप्पणी का उल्लेख करने के बाद कार्यवाही में व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 12.23 से 15 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 12:42 बजे समेवत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

7. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 1 जुलाई, 2024 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित किए जाने की सिफारिश की गई है :-

क्र.	शासकीय विधेयक	प्रस्तावित समय
1.	मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024	30 मिनिट
2.	मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024	30 मिनिट

3.	मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2024	30 मिनिट
4.	मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक, 2024	1 घण्टा

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाईं, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

8. ध्यानाकर्षण

(1) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य द्वारा इंदौर-बुधनी रेल लाईन हेतु अधिग्रहित भूमि का कम मुआवजा दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया, श्री दिनेश जैन 'बोस' सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया.

9. अध्यक्षीय व्यवस्था

आज की कार्यसूची में उल्लेखित ध्यानाकर्षण क्रमांक-2 संबंधी घोषणा एवं व्यवस्था.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि – "माननीय सदस्यों के अनुरोध एवं कल दोनों पक्षों की बात सदन में सुनने के बाद मेरे द्वारा सदन में की गई घोषणा के परिप्रेक्ष्य में यह दूसरा ध्यानाकर्षण लिया गया है. विधान सभा प्रक्रिया नियम 138(2) में स्पष्ट प्रावधान है कि ध्यानाकर्षण सूचना पर शासन के मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा, किंतु प्रस्तुतकर्ता सदस्य, अध्यक्ष की अनुमति से एक-एक प्रश्न पूछ सकेंगे इसकी सूचना देने वाले सदस्यों की संख्या काफी अधिक है तथा प्रकरण न्यायालय प्रक्रिया के अधीन है. अत: माननीय सदस्य इसको दृष्टिगत रखते हुए सटीक प्रश्न पूछकर समय-सीमा में ध्यान आकर्षण पर कार्यवाही पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करेंगे".

उक्त ध्यानाकर्षण के संबंध में कल हुई चर्चा का उल्लेख करते हुए श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने मध्यप्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 134 एवं परन्तुक का उद्धरण प्रस्तुत किया कि- "साधारणतया ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिए हो जो किसी न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाली किसी सांविधिक न्यायाधिकरण या सांविधिक प्राधिकारी या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लंबित हो:"

"परन्तु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे विषय को सभा में उठाने की अनुमति दे सकेगा जो जांच की प्रक्रिया या विषय प्रक्रम से संबंधित हो, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि इससे सांविधिक न्यायाधिकरण, सांविधिक प्राधिकारी या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है."

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी यह विचार व्यक्त किया गया कि- ''सभी अधिकार अध्यक्ष में निहित हैं. यह नियम जो बनाए हैं वह भी माननीय अध्यक्ष ने ही बनाए हैं, इसलिए मेरा दायित्व है कि जो नियम बने हैं उसके अनुसार सदन चले. जब भी नियम के बाहर चले तो मेरा दायित्व है कि मैं अवगत कराऊं और इसलिए आपके पास आपका अधिकार है, आपके विवेक से आप निर्णय कर सकते हैं. यह निर्णय ही नहीं, बाकी निर्णय भी कर सकते हैं. अध्यक्ष महोदय के पास सर्वाधिकार सुरक्षित हैं.''

10. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(2) **श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, (श्री जयवर्द्धन सिंह एवं श्री लखन घनघोरिया)** सदस्यों द्वारा मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल द्वारा नर्सिंग कालेजों को नियम विरूद्ध मान्यता दिये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा की ओर ध्यान आकर्षित किया श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री महोदय ने चर्चा का उत्तर दिया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्य से ध्यानाकर्षण पर चर्चा प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया.

11. औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था
बिना अनुमति के कागज दिखाने (प्रदर्शन) की अनुमति नहीं होने के संबंध में व्यवस्था

(1) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे द्वारा अपने भाषण के प्रारम्भ में किसी पत्र का प्रदर्शन किया गया.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा औचित्य का प्रश्न उठाया गया कि- इस प्रकार से किसी पत्र के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती है. आसंदी से यह अनुरोध है कि माननीय सदस्य को इस संबंध में निर्देश दें.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि-''यह सही है कि बिना अनुमति के यह नहीं दिखाना चाहिए जो कागज दिखाया, वह उचित नहीं है ''

श्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा आंसदी से अनुरोध किया गया कि- आपने सहृदयतापूर्वक ध्यानाकर्षण के माध्यम से चर्चा ली है यह प्रकरण न्याय निर्णयाधीन है क्योंकि सी.बी.आई. की जांच चल रही है, इसी कारण आपने यह भी आदेश दिया कि ध्यानाकर्षण पर भाषण नहीं होगा केवल कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई है. किन्तु श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे द्वारा जो अभी किसी पर्चे का प्रदर्शन किया गया वह सदन की कार्यवाही में नहीं आना चाहिए और आगे भी माननीय सदस्यों को निर्देशित करने का कष्ट करें.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि-''ठीक है, नियम प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी बात रखें'' ये जो आप दिखा रहे, जो विषय आप कह रहे है. यह ध्यानाकर्षण की विषय वस्तु से संबंधित नहीं है, जो आपने ध्यानाकर्षण दिया है, वह रिकार्ड में नहीं आएगा हेमंत जी विषयांतर नहीं करना है, आप विषय के अंदर रहें.

श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य द्वारा आसंदी के माध्यम से यह औचित्य का प्रश्न उठाया गया कि- "अगर सदन में किसी के ऊपर भी हम आरोप लगाते हैं तो ये नियम प्रक्रिया है कि हम वह दस्तावेज पटल पर रखते हैं और अध्यक्ष की अनुमति के बाद ही हम उन दस्तावेजों के बारे में अपनी बात सदन में कह सकते हैं. माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, उस संबंध में उन्होंने कोई भी दस्तावेज पटल पर नहीं रखे हैं, इसलिए मेरा आग्रह है माननीय सदस्य से और सदन से भी अगर आपके पास कोई दस्तावेज है तो आप सदन के पटल पर रखें. अध्यक्ष महोदय की अनुमति लें, उसके बाद आरोप लगाएं, जिससे कि उन दस्तावेज के आधार पर जिस सदस्य पर आरोप लगे हैं, वह अपना जवाब दे सके. ये कोई सदन की अच्छी परम्परा नहीं है

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि- "मेरा हेमंत जी और बाकी सदस्यों से अनुरोध है कि महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं. आप सभी लोगों का आग्रह था कि इस पर चर्चा कराई जाए, इसलिए नियम प्रक्रिया का पालन करते हुए हम अपनी अपनी बात रखें, जिससे समय सीमा पर ध्यानाकर्षण भी पूरा हो और जो बात हम रखना चाहते हैं उसके निराकरण की दिशा में भी हम कुछ बढ़ सके."

तदनंतर श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे द्वारा ध्यानाकर्षण पर कथन प्रारंभ किया गया जिसमें अनेक बार प्रश्नों के स्थान पर भाषण देने पर श्री कैलाश विजयवर्गीय एवं डॉ.सीतासरन शर्मा द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई एवं आसंदी द्वारा उन्हें भूमिका नहीं बनाकर केवल तत्थात्मक बिन्दु रखने की अनुमति दी गई.

12. अध्यक्षीय घोषणा.
सदन के समय में वृद्धि विषयक.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्य सूची में उल्लेखित ध्यानाकर्षण क्रमांक-2 पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की गई.

13. औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमश:)
जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम लेकर आरोप लगाए जाने की अनुमति न दी जाना

(2) श्री जयवर्द्धन सिंह, ने भी चर्चा में भाग लिया इस दौरान श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने आसंदी के माध्यम से सदन का ध्यान मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम और परंपराओं के संबंध में यह उल्लेख किया कि- ''हमारे यहां इस सदन की परम्परा रही है कि हम सदन के सदस्य के खिलाफ या कोई ऐसा व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है, जो सदन के बाहर है

उसके खिलाफ यदि आरोप लगाते हैं तो वह तो यहां पर अपना बचाव करने आएगा नहीं. कम से कम आपको आरोप लगाने के पहले अनुमति लेना चाहिए. क्या माननीय जयवर्द्धन जी ने इसकी अनुमति ली है? ''

पहले माननीय सदस्य को, अध्यक्ष महोदय को तथा संबंधित मंत्री महोदय को पर्याप्त समय पहले सूचना दें. लगातार माननीय मंत्री जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं. आपने जो आरोप लगाए हैं क्या उसकी सूचना लिखित में आप तक या माननीय मंत्री जी तक पहुंची है ? जो आरोप लगा रहे थे वह आरोप पत्र दिया गया है क्या? क्या वह आरोप पत्र माननीय मंत्री जी के पास पहुंचा है ? तो क्या इस प्रकार के आरोप इस सदन के अंदर बिना नियम प्रक्रिया के तहत लगाये जा सकते हैं ? मेरा आंसदी से ऐसा निवेदन है कि ऐसे जो आरोप लगे हैं उन्हें विलोपित किया जाना चाहिए. आप बहुत ही गंभीर हैं और आपको दोनों सदनों का भी अनुभव है. आप वहां पर भी संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं और आप यहां पर भी विधान सभा के अध्यक्ष हैं इसीलिए आपसे अपेक्षा बहुत ज्यादा है कि यह सदन नियम और प्रक्रिया से चले, यदि यह नियम और प्रक्रिया से है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है. फिर जैसा आपका आदेश है वह शिरोधार्य है''.

डॉ. सीतासरन शर्मा, द्वारा आसंदी के माध्यम से यह औचित्य का प्रश्न उठाया गया कि- ''मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियम 251 के अनुसार बोलते समय कोई सदस्य किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं करेगा यह नियम 251 में स्पष्ट है. नियम 252 के अनुसार किसी सदस्य द्वारा वाद-विवाद में किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधरोपक आरोप नहीं लगाया जाएगा. जब तक कि वाद-विवाद में भाग लेने के एक दिन पूर्व उस सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो. अध्यक्ष महोदय, यह आरोप लगा रहे हैं. यह सारा कार्यवाही से विलोपित किया जाना चाहिए.''

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसंदी के माध्यम से सदन का ध्यान दिनांक 22 जुलाई 2002 के इस संदर्भ की ओर दिलाया गया कि- ''जब श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी थे. उस समय यह बात हुई थी कि नेता प्रतिपक्ष या अन्य आरोप प्रत्यारोपों के बारे में पूर्व सूचना को देकर आरोपों के बारे में तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग दी थी कि आरोपों को लगाये जाने के संबंध में मैंने विविध पक्षों को सुना. संसदीय व्यवस्था का सार यह है कि सदन में सदस्यगण बिना किसी भय या दबाव में अपनी बात को मुक्त कंठ से कहे. सर्वोच्च न्यायालय ने तेज कुमार बनाम राजीव, संजीव रेड्डी के प्रकरण में स्पष्ट कर दिया कि सदन की कार्यवाही सदन के नियमों, सदस्यों के सद्भाव और अध्यक्ष के नियंत्रण के अतिरिक्त अन्य कोई नियंत्रण नहीं होगा क्योंकि यदि सदस्य की वाणी की स्वतंत्रता छीन ली गई तो उस तरह से किसी भी लगाये गये जनहित के अनेक महत्वपूर्ण मामले सदन में कभी नहीं आ पायेंगे. आरोप के संबंध में यह स्पष्ट कहा गया है.''

माननीय सदस्यों के विचारोपरांत अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि- ''मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि मुझे लग रहा है कि बोलने वाले सदस्य कोई पहली बार नहीं आए हैं. हमेशा सदन में यह बात रही है कि जो व्यक्ति सदन के भीतर नहीं है उस पर हम लोग नाम लेकर आरोप न लगाएं क्योंकि वह अपना पक्ष रखने सदन में नहीं आ सकता है, दूसरी बात यह है कि जब हम किसी प्रकार की चर्चा करते हैं तो चर्चा में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह दृष्टिगोचर नहीं होना चाहिए. यदि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह दृष्टिगोचर होता है तो यह परम्परा भी एक तौर से उचित नहीं है. जयवर्द्धन जी, आप अपनी बात को संक्षिप्त में पूरा करें.''

14. ध्यानाकर्षण (क्रमशः)

श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य द्वारा भाषण पूर्ण किया गया.
निम्नलिखित सदस्यों ने भी ध्यानाकर्षण चर्चा में भाग लिया.

(3) सर्वश्री लखन घनघोरिया

सभापति महोदय (श्री अजय विश्नोई) पीठासीन हुए.

(4) सर्वश्री आतिफ आरिफ अकील
(5) राजेन्द्र भारती
(6) ओमकार सिंह मरकाम
(7) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी

(8) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर
(9) डॉ.विक्रांत भूरिया

अध्यक्ष महोदय द्वारा भोजनावकाश के अन्तराल हेतु अपराह्न 2.35 बजे सदन की कार्यवाही 3.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाकर अपराह्न 3.41 बजे पुन: समवेत की गई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए

(10) सर्वश्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(11) मधु भाऊ भगत
(12) राजन मण्डलोई
(13) पंकज उपाध्याय
(14) प्रताप ग्रेवाल
(15) दिनेश जैन "बोस"
(16) श्रीमती सेना महेश पटेल
(17) सर्वश्री फूलसिंह बरैया
(18) भंवरसिंह शेखावत
(19) नारायण सिंह पट्टा
(20) उमंग सिंघार
(21) श्री विश्वास सारंग, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री

श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री (चिकित्सा शिक्षा) ने चर्चा का उत्तर दिया.

15. अध्यक्षीय घोषणा.
सदन के समय में वृद्धि विषयक.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्य सूची में उल्लेखित विषयों पर कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की गई.

16. गर्भ गृह में प्रवेश एवं नारेबाजी

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के अनेक सदस्यगण द्वारा एक सर्वदलीय समिति बनाने की मांग करते हुए गर्भ गृह में प्रवेश किया एवं नारेबाजी की गई.

17. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-2 विजयपुर से निर्वाचित सदस्य, श्री रामनिवास रावत एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-145 बासौदा से निर्वाचित सदस्य श्री हरिसिंह रघुवंशी को विधान सभा के जुलाई, 2024 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की.

18. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार आज की कार्यसूची में उल्लेखित माननीय सदस्यों की याचिकाएँ प्रस्तुत हुई मानी जाएँगी.
(1) डॉ. अभिलाष पाण्डेय (जिला-जबलपुर)
(2) श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-बालाघाट)
(3) श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला-ग्वालियर)

(4) श्री फूलसिंह बरैया (जिला-दतिया)
(5) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)
(6) श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-टीकमगढ़)
(7) श्री मथुरालाल डामर (जिला-रतलाम)
(8) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
(9) डॉ. सीतासरन शर्मा (जिला-नर्मदापुरम)
(10) श्री केदार चिड़ाभाई (जिला-खरगोन)
(11) श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-विदिशा)
(12) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(13) श्री रामनिवास शाह (जिला-सिंगरौली)
(14) श्री अरुण भीमावद (जिला-शाजापुर)
(15) श्री अमरसिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(16) श्री केशव देसाई (जिला-भोपाल)
(17) श्री वीरसिंह भूरिया (जिला-झाबुआ)

19. अध्यक्षीय घोषणा.
शासकीय विधि विषयक कार्य.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि-

आज की कार्यसूची के पद - 6 "शासकीय विधि विषयक कार्य" के अन्तर्गत उल्लिखित विधेयकों की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए, मैंने, स्थायी आदेश की कंडिका 24 एवं मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को शिथिल कर आज ही पुर:स्थापन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं उसे विचार में लिये जाने की अनुमति प्रदान की है।''

20. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 9 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.
(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.
(3) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.
(4) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 9 सन् 2024) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकत हुआ

खण्ड **2** से **4** इस विधेयक के अंग बने.

खण्ड **1** इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने

श्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(5) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकत हुआ
खण्ड **2** इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड **1** इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने

श्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

21. बहिर्गमन.

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

22. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(6) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकत हुआ
खण्ड **2** तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड **1** इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने

श्री इन्दर सिंह परमार ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

अपराह्न 5.53 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 3 जुलाई, 2024 (आषाढ़ 12 शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

बुधवार, दिनांक 3 जुलाई, 2024 (आषाढ़ 12, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:05 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए

1.औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

विगत दिवस नर्सेस काउंसिल संबंधी ध्यानाकर्षण पर चर्चा के उत्तर में सहकारिता मंत्री द्वारा कथित रूप से सदन को गुमराह किए जाने पर दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर चर्चा एवं विपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रकरण में जाँच की मांग की जाना.

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आंसदी से यह अनुरोध किया कि कल दिनाँक 2 जुलाई, 2024 को नर्सेस काउंसिल द्वारा अनियमितता पर हुई चर्चा के दौरान श्री विश्वास सारंग सहकारिता मंत्री द्वारा सदन को गुमराह किया गया है और गलत जानकारी दी गई है. इसके बारे में विपक्ष के सदस्यों ने विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है, प्रमाण के साथ हमने जानकारी दी है. हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो और कल हमने सर्वदलीय समिति बनाकर जाँच करवाने की भी मांग की थी, उस पर भी आपने कोई व्यवस्था नहीं दी है.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने अनुरोध किया कि आज इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती है क्योंकि आज तो बजट आ रहा है.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि- "आय-व्ययक उपस्थापन के दिन बाकी विषय नहीं लिए जाते हैं. उसके लिए अपने पास समय है, आप मुझसे मिल भी सकते हैं. मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि हर विषय को उठाने के लिए नियम प्रक्रिया में प्रावधान हैं. आप उसके तहत आइये. मैं सभी को सुनूंगा और जरूरी होगा तो अवसर दूंगा. यह बजट सत्र है, अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करूँगा कि अब वह बजट प्रस्तुत करें."

डॉ.मोहन यादव, मुख्यमंत्री ने आसंदी से अनुरोध किया कि नेता प्रतिपक्ष सहित पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों को सदन की जो मान्य परंपरा की आपने जो व्यवस्था दी है, उसका पालन करना चाहिए. कल सभी की इच्छानुसार उस विषय पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है. सदन के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक ध्यानाकर्षण पर चार घंटे तक चर्चा हो. अब उस विषय को इस ढंग से लेना सदन का समय जाया करना है. यह बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान भटकाने का प्रयास भी है. मैं उम्मीद करता हूँ कि अब कोई नहीं बोलेगा अब आप कृपया व्यवस्था दें ताकि बजट प्रस्तुत हो सके.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि- "नियमों को शिथिल करके कल इस विषय पर विस्तार से चर्चा हो गई है, अब इस विषय पर दोबारा चर्चा नहीं होगी. जो विषय विपक्ष के सदस्यगण उठा रहे हैं उसके लिए नियम प्रक्रिया के तहत ही आपको अवसर मिलेगा. श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त के अलावा किसी का कथन रिकार्ड में नहीं आएगा."

2. वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक का उपस्थापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा उप मुख्यमंत्री, वित्त से अनुरोध किया गया कि वह बजट भाषण प्रारंभ करें.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त द्वारा राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक का उपस्थापन किया गया.

3. गर्भ गृह में प्रवेश एवं बहिर्गमन.

इंडियन नेशनल काँग्रेस के सदस्यगण द्वारा कल सदन में ध्यानाकर्षण पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर गर्भगृह में प्रवेश किया गया. बजट भाषण के दौरान नारेबाजी की गई तथा कुछ समय पश्चात् बहिर्गमन किया गया.

तदुपरांत श्री जगदीश देवड़ा द्वारा मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत यथा-अपेक्षित राजकोषीय नीति का विवरण वर्ष 2024-25 सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि- "आय-व्ययक में सम्मिलित मांगों पर प्रस्तुत किये जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं, निर्धारित प्रपत्र में आज दिनांक 3 जुलाई, 2024 को अपराह्न 5 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती हैं तथा आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए गुरूवार, दिनांक 4 जुलाई, 2024 का समय नियत किया गया है."

4. औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमशः)

विपक्ष के सदस्यों द्वारा आय-व्ययक उपस्थापन के दौरान व्यवधान से कार्यवाही बाधित की जाना.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आसंदी से अनुरोध किया गया कि आज विपक्ष की स्थिति अत्यन्त निंदनीय है. मध्यप्रदेश के इतिहास में ध्यानाकर्षण के माध्यम से आपने पूरा अवसर दिया, सर्वाधिक चर्चा हुई. उसके बाद आज बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस प्रकार से व्यवधान करना, यह बहुत निंदनीय कृत्य है इसलिए विपक्ष के इस कृत्य पर सदन को निंदा प्रस्ताव पारित करना चाहिये. यदि आप अनुमति दें तो हम सब, यह सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव दें.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री ने ''मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 250, कंडिका 2 और 9 का उल्लेख करते हुए यह मत व्यक्त किया कि- इस नियम में स्पष्ट है कि किसी के भाषण के दौरान ऐसा व्यवधान नहीं हो सकता, लेकिन जब बजट पेश हो रहा हो उस समय जो व्यवहार है, यह औचित्य का प्रश्न भी उठाता है कि जो नियम 267-क में भी है और उसके आगे भी है. मुझे लगता है कि मंत्री होने के नाते शायद मैं, औचित्य का प्रश्न नहीं उठा सकता. कोई माननीय सदस्य उठा सकता है, लेकिन औचित्य का प्रश्न आता है और मुझे लगता है कि निंदा प्रस्ताव के बारे में अभी जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है, वह कठोर हो सकता है. यह आपके विवेक के ऊपर छोड़ा जाना चाहिये. लेकिन औचित्य का प्रश्न हमारे किसी माननीय सदस्य को जरूर उठाना चाहिये, ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थियां न बने. मेरा आग्रह है कि अगर प्रतिपक्ष यहां पर होता तो मैं मानता कि कम से कम उनके सामने भी यह बात आनी चाहिये कि हमारे जो संसदीय नियम बने हुए हैं. अगर उनका पालन नहीं होगा तो शायद हम बहुत बेहतर परिणाम नहीं दे सकते. मैं मानता हूं कि उनकी अनुपस्थिति है इसलिए आपके विवेक पर जरूर हम छोड़ते हैं. मध्यप्रदेश के महत्वपूर्ण विषयों पर आज एक बेहतरीन बजट आया है उसे अगर बेहतर तरीके से सुनते तो शायद सबका भी भला होता.''

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि-''आज बजट के दौरान प्रतिपक्ष के सदस्यों के द्वारा जो व्यवधान हुआ, मैंने भी उनसे बार-बार आग्रह किया कि वह अपने आसन पर जाएं और इस प्रकार का आचरण न करें. मैं समझता हूं कि यह हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है और इस प्रकार के आचरण को किसी भी प्रकार से न आसंदी, न सदन उचित कह सकता है.''

अपराह्न 12.52 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 4 जुलाई, 2024 (आषाढ़ 13 शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

गुरूवार, दिनांक 4 जुलाई, 2024 (आषाढ़ 13, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए

1. निधन का उल्लेख.

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री विराग सागर महाराज जी महामुनिराज की महासमाधि के संबंध मे. सदन की ओर से शोकोद्गार व्यक्त किये गए .

सदन द्वारा दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

2. प्रश्नोत्तर.

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 109 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 120 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. शासकीय वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री राकेश सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने सड़क संधारण व्यवस्था संबंधी ''लोक पथ'' एप लॉच करने संबंधी वक्तव्य दिया.

4. विशेष उल्लेख

श्री चेतन्य कुमार काश्यप, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ने मंत्री के रूप में अपना वेतन विकास कार्य हेतु समर्पण करने संबंधी उल्लेख किया.

5. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय, द्वारा की गई घोषणानुसार :-

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की इटारसी तहसील के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहरागांव में वाणिज्य संकाय प्रांरभ कराये जाने.

(2) डॉ. चिन्तामणि मालवीय, सदस्य की प्रदेश की सुदूर सड़क योजना का कार्य बंद होने,

(3) श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य की जिला दतिया में स्टाप डेम बनाकर नदी-नालों को पुन: जीवित किये जाने,

(4) श्री राजेश कुमार शुक्ला, सदस्य की विधानसभा क्षेत्र बिजावर अतंर्गत सीलौन गांव में स्थित पुलिस चौकी को झमटुली गांव में स्थानांतरित न किये जाने,

(5) श्री कैलाश कुशवाह , सदस्य की शिवपुरी जिले में स्कूलों में पेयजल हेतु पानी की व्यवस्था न होने,

(6) श्रीमती रीति पाठक, सदस्य की सीधी जिले अतंर्गत सोन नदी के किनारे फेंसिंग कार्य किये जाने,

(7) श्री कमलेश्वर डोडियार, सदस्य की पश्चिम मध्यप्रदेश के आदिवासी जिलों से आदिवासियों के पलायन को रोकने हेतु नीति न बनाई जाने,

(8) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य की रीवा जिले की ग्राम पंचायत बुसौल में गोदाम का निर्माण कराकर खाद्यान्न का वितरण कराये जाने,

(9) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य की केसरवानी समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किये जाने तथा

(10) श्री दिनेश जैन बोस, सदस्य की विधानसभा क्षेत्र महिदपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता होने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

6. अध्यक्षीय व्यवस्था
विशेषाधिकार भंग की सूचना परीक्षणाधीन होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा विशेषाधिकार भंग का एक मामला मेरे ध्यान में लाया गया, तत्संबंधी दो सूचनाएं मुझे कल प्राप्त हुई हैं मैं इनका परीक्षण कर शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही करूंगा.

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष महोदय ने अनुरोध किया कि इस संबंध में दो ही काम हो सकते हैं या तो चर्चा करा लें या समिति को सौंप दे.

अध्यक्ष महोदय ने नेता प्रतिपक्ष महोदय को पुन: सूचित किया कि इस पर अभी विचार और परीक्षण करने दीजिए.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने
(क) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 तथा
(ख) भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने
(क) मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 तथा
(ख) मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 46 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2020-21 पटल पर रखे.

(3) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री ने
(क) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23,
(ख) शहपुरा थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड का 17 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23,
(ग) बाणसागर थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड का 12 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 तथा
(घ) मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का एकविंशति: (इक्कीसवां) वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखे.

(4) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री ने
(क) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का 66 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23,
(ख) अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23,
(ग) महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 तथा
(घ) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पटल पर रखे.

(5)(*मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत*) श्रीमती कृष्णा गौर, राज्य मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर का 65 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 पटल पर रखा.

(6)(*मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत*) श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्य मंत्री, संस्कृति ने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 पटल पर रखा.

(7)(*मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत*) श्री दिलीप अहिरवार, राज्य मंत्री, वन ने मध्य प्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ग्वालियर लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पटल पर रखा.

8. अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमश:)

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने पुन: आसंदी का ध्यान मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 165 की ओर आकृष्ट किया कि- ''जो सदस्य विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहे, वह उसकी लिखित सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन कि प्रश्न उठाने का विचार हो.... इसमें स्पष्ट लिखा है कि इसमें आसंदी को व्यवस्था देना है क्योंकि यह तात्कालिक मुद्दा है. तो इसमें हम यह चाह रहे हैं कि इस पर चर्चा हो जाये या आप जो व्यवस्था चाहें, वह आप दें. अब दो सदस्यों ने

पूरे दल की तरफ से यह विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है. इस पर तत्काल आसंदी की व्यवस्था आना चाहिए.''

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से आसंदी से अनुरोध किया कि यह विधान सभा नियम और प्रक्रिया के अंतर्गत चलेगी. आसंदी की व्यवस्था के ऊपर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकता है.

अध्यक्ष महोदय द्वारा पुन: व्यवस्था दी गई कि-''आज बजट पर चर्चा शुरू होना है नेता प्रतिपक्ष जी, मेरा आप से अनुरोध है कि आपने विषय को उठाया, मैंने उस पर व्यवस्था दे दी कि मुझे सूचनाएं प्राप्त हो गई हैं, मैं उन पर विचार कर नियमानुसार कार्यवाही करुंगा. अध्यक्ष की व्यवस्था पर पाइंट ऑफ आर्डर उठाने का प्रावधान नहीं होता है. मैंने व्यवस्था दे दी है अब इस व्यवस्था पर कोई व्यवस्था प्रश्न नहीं होगा, अब ध्यानाकर्षण लिए जाएंगे आप बजट पर चर्चा कर सकते है बजट पर बोलने का सबको अवसर मिलेगा यह विषय अब खत्म हुआ.''

9. ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य ने प्रदेश में संचालित यूनानी महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम को हिन्दी में न पढ़ाये जाने की ओर आयुष मंत्री का ध्यान आकर्षित किया, श्री इन्दर सिंह परमार, आयुष मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी, सदस्य ने प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया, श्री नारायण सिंह कुशवाह, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया, सर्वश्री आतिफ आरिफ अकील, लखन घनघोरिया सदस्यगण एवं श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने भी चर्चा में भाग लिया.

10. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-122 जुन्नारदेव (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री सुनील उईके एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-128 पांढुर्णा (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री निलेश उईके को विधान सभा के जुलाई, 2024 सत्र में दिनांक 1 जुलाई से 13 जुलाई, 2024 तक की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की.

11. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

इंजी. प्रदीप लारिया, सभापति द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई, 2024 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्र.	अशासकीय संकल्प क्र.	प्रस्तावक सदस्य	निर्धारित समय
1.	क्रमांक –5	डॉ. सीतासरन शर्मा	35 मिनट
2.	क्रमांक -19	श्री संजय सत्येन्द्र पाठक	35 मिनट
3.	क्रमांक-4	डॉ. अभिलाष पाण्डेय	35 मिनट

इंजी. प्रदीप लारिया ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

12. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 3 जुलाई, 2024 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं वर्ष 2014-15 के आधिक्य व्यय की अनुदानों की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक के पुर: स्थापन, विचार एवं पारण तथा वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों की विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित किए जाने की सिफारिश की गई है :-

क्र.	शासकीय विधेयक	प्रस्तावित समय
5.	मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024)	30 मिनिट
6.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 14 सन् 2024)	30 मिनिट
7.	मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024)	30 मिनिट
8.	मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 16 सन् 2024)	30 मिनिट
9.	मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक, 2024 (क्रमांक 17 सन् 2024)	30 मिनिट
10.	वर्ष 2014-2015 के आधिक्य व्यय की अनुदानों की मांगों पर मतदान	20 मिनिट

वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों के विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिए आवंटित समय.

क्र.	प्रस्तावक मंत्री	मांग संख्या का विवरण	आवंटित समय
1.	डॉ.मोहन यादव, मुख्यमंत्री	001- सामान्य प्रशासन 002- विमानन 003- गृह 005- जेल 011-औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन 021- लोक सेवा प्रबंधन 025- खनिज साधन 029- विधि और विधायी कार्य 032- जनसंपर्क 041- प्रवासी भारतीय 046 – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 048- नर्मदा घाटी विकास 057- आनंद	1 घण्टा 30 मि.
2.	श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री	006- वित्त 007- वाणिज्यिक कर 031- योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी	30 मि.
3.	श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री	019- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 052- चिकित्सा शिक्षा	1 घण्टा
4.	डॉ. कुंवर विजय शाह, मंत्री	033- जनजातीय कार्य 042- भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास 045- लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन	1 घण्टा
5.	श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री	022- नगरीय विकास एवं आवास 028- राज्य विधान मण्डल	30 मि.

6.	श्री प्रहलाद सिंह पटेल, मंत्री	018- श्रम 030- ग्रामीण विकास 040- पंचायत	1 घण्टा
7.	श्री राकेश सिंह, मंत्री	024- लोक निर्माण कार्य	30 मि.
8.	श्री करण सिंह वर्मा, मंत्री	008- भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	30 मि.
9.	श्री उदय प्रताप सिंह, मंत्री	027- स्कूल शिक्षा 036- परिवहन	30 मि.
10.	श्रीमती संपतिया उइके, मंत्री	020- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	30 मि.
11.	श्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री	023- जल संसाधन	30 मि.
12.	श्री एंदल सिंह कंषाना, मंत्री	013- किसान कल्याण तथा कृषि विकास	30 मि.
13.	कुमारी निर्मला दिलीप सिंह भूरिया, मंत्री	055- महिला एवं बाल विकास	30 मि.
14.	श्री गोविन्द सिंह राजपूत, मंत्री	039- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	30 मि.
15.	श्री विश्वास सारंग, मंत्री	043- खेल और युवा कल्याण 017- सहकारिता	30 मि.
16.	श्री नारायण सिंह कुशवाह, मंत्री	034- सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण 050- उद्यानिक तथा खाद्य प्रसंस्करण	1 घण्टा
17.	श्री नागर सिंह चौहान, मंत्री	004- पर्यावरण 010- वन 049- अनुसूचित जाति कल्याण	30 मि.
18.	श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री	012- ऊर्जा	30 मि.
19.	श्री राकेश शुक्ला, मंत्री	009- नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	30 मि.
20.	श्री चेतन्य काश्यप, मंत्री	035- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	30 मि.
21.	श्री इन्दर सिंह परमार, मंत्री	044- उच्च शिक्षा 038- आयुष 047- तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार	1 घण्टा
22.	श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	015- घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति 053- अल्प संख्यक कल्याण 054- पिछड़ा वर्ग कल्याण	1 घण्टा
23.	श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	026- संस्कृति 037- पर्यटन 051- धार्मिक न्यास और धर्मस्व	30 मिनिट
24.	श्री दिलीप जायसवाल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	056- कुटीर एवं ग्रामोद्योग	30 मिनिट
25.	श्री लखन पटैल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	014- पशुपालन एवं डेयरी	30 मिनिट
26.	श्री नारायण सिंह पंवार, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	016- मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	1 घण्टा

समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार -

(1) दिनांक 4 एवं 5 जुलाई, 2024 की बैठक में भोजनावकाश न रखा जाए तथा सभा की बैठकें सायं 6 बजे तक रखी जाए.

(2) वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा, तदुपरांत अनुदानों की मांगों पर चर्चा रखी जाए.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने जिन शासकीय विधेयकों एवं वित्तीय कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाईं, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

13. बधाई एवं शुभकामनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा कुमारी निर्मला भूरिया एवं श्री चन्दर सिंह सिसौदिया, सदस्यगण के जन्म दिन पर उन्हें अपनी और सदन की ओर से शुभकामनाएं दी गईं.

14. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार आज की कार्यसूची में पदक्रम 6 पर जिन याचिकाओं का उल्लेख किया गया है उनको प्रस्तुत किया हुआ माना जाएगा तद्नुसार निम्नांकित याचिकाए प्रस्तुत हुई मानी गईं.

(1) डॉ. अभिलाष पाण्डेय (जिला-जबलपुर)
(2) श्री फूलसिंह बरैया (जिला-दतिया)
(3) श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-बालाघाट)
(4) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)
(5) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
(6) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(7) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
(8) श्री वीरसिंह भूरिया (जिला-झाबुआ)
(9) श्री विपीन जैन (जिला-मंदसौर)
(10) श्री कामाख्या प्रताप सिंह (जिला-छतरपुर)
(11) श्री मोन्टू सोलंकी (जिला-बड़वानी)
(12) श्री मथुरालाल डामर (जिला-रतलाम)
(13) श्रीमती उमादेवी खटीक (जिला-दमोह)
(14) श्री विक्रम सिंह (जिला-सतना)
(15) श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-अनूपपुर)
(16) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(17) श्री आरिफ मसूद (जिला-भोपाल)
(18) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(19) श्री मधु भाऊ भगत (जिला-बालाघाट)
(20) श्री देवेन्द्र नारायण सखवार (जिला-मुरैना)
(21) श्री भैरोंसिंह बापू (जिला- आगर-मालवा)
(22) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन (जिला- सागर)
(23) श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला- अलीराजपुर)
(24) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला- दतिया)
(25) श्री श्रीकांत चतुर्वेदी (जिला- मैहर)
(26) श्री अरुण भीमावद (जिला- शाजापुर)
(27) श्री कैलाश कुशवाहा (जिला- शिवपुरी)
(28) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला- टीकमगढ़)
(29) श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला- शिवपुरी)

(30) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला- ग्वालियर)
(31) डॉ. सीतासरन शर्मा (जिला- नर्मदापुरम)
(32) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला- रतलाम)
(33) श्री प्रणय प्रभात पाण्डे (जिला- कटनी)
(34) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला- धार)
(35) श्री राजेश कुमार शुक्ला (जिला- छतरपुर)
(36) इंजी. ऋषि अग्रवाल (जिला- गुना)
(37) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला- टीकमगढ़)
(38) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला- खरगोन)
(39) श्री राजेन्द्र भारती (जिला- दतिया)
(40) श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला- टीकमगढ़)
(41) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला- सिवनी)
(42) श्री अभय कुमार मिश्रा (जिला- रीवा)
(43) श्री आतिफ आरिफ अकील (जिला- भोपाल)

15. अध्यक्षीय घोषणा
भोजनावकाश न होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि आज चूँकि सामान्य बजट पर चर्चा होगी इसलिए भोजनावकाश नहीं होगा माननीय सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है.

16. लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिए 11-11 सदस्यों का निर्वाचन

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने प्रस्ताव किया कि- "सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3), 223 के उपनियम (1), 223-क के उपनियम (1) तथा 234-ढ के उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए क्रमश: लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से 11-11 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

17. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- "सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2024-25 के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमश: चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के होंगे) अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

18. पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन

श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ने प्रस्ताव किया कि-"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-द के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2024-2025 के लिए पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें आठ सदस्य शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

19. निर्वाचन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित करने की घोषणा की गई:-

(1) नाम - निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई, 2024 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं;

(2) नाम - निर्देशन प्रपत्रों की जांच शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई, 2024 को अपराह्न 4.30 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक 6 में होगी;

(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना सोमवार, दिनांक 8 जुलाई, 2024 को अपराह्न 4.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है;

(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान मंगलवार, दिनांक 9 जुलाई, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा;

(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा. उपर्युक्त निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं.

20. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ने मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(3) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 14 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(4) श्री लखन पटेल, राज्यमंत्री पशुपालन, मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(5) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री वाणिज्यिक कर ने मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 16 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(6) श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक, 2024 (क्रमांक 17 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

21. अध्यक्षीय घोषणा

(1) बजट पर सामान्य चर्चा में पहले भाग लेने वाले सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को विभागवार चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि- "आज की कार्य-सूची में बजट पर सामान्य चर्चा के पश्चात् कतिपय महत्वपूर्ण विभागों की मांगों को भी शामिल किया गया है। पहले बजट पर सामान्य चर्चा पूर्ण की जायेगी, जिसका जवाब माननीय उप-मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा दिया जायेगा, तदुपरांत विभागवार मांगों पर चर्चा प्रारंभ होगी।

उक्त परिप्रेक्ष्य में दोनों पक्षों से अनुरोध है कि सामान्य चर्चा में पहले भाग लेने वाले सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को विभागवार चर्चा में भाग लेने का अवसर दें, तो चर्चा सार्थक होने के साथ अधिक-से-अधिक सदस्यों को सदन में अपनी बात रखने का अवसर उपलब्ध हो सकेगा।

मेरी अपेक्षा है कि दोनों दलों के नेतागण इस परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे.

(2) ज्वलंत विषय के ध्यानाकर्षण पर पूर्व में की गई विस्तृत चर्चा को परंपरा या पूर्वोदाहरण न बनाया जाना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि- "विगत दिनों 2 जुलाई, 2024 को सदन ने जिस ध्यानाकर्षण पर चर्चा की गई, उस पर ध्यानाकर्षण पर चर्चा का समय काफी लम्बा था. लेकिन मैंने विशेष अनुमति देकर उस पर चर्चा कराई थी क्योंकि विषय ज्वलंत था और सब चाहते थे कि उस पर चर्चा

हो. लेकिन ध्यानाकर्षण सूचना पर इस प्रकार की चर्चा, आगे न तो उदाहरण के रूप में इस्तेमाल की जायेगी और न ही परम्परा बनेगी. यह ध्यान में रहना चाहिए."

22. वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त द्वारा दिनांक 3 जुलाई, 2024 को सदन में उपस्थापित, वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर प्रारम्भ हुई सामान्य चर्चा में निम्नलिखित सदस्यगण ने भाग लिया :-

(1) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह

सभापति महोदय (डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए

(2) डॉ.सीतासरन शर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए

(3) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव
(4) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन

सभापति महोदय (डॉ राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए

(5) श्री लखन घनघोरिया
(6) श्री गौरव सिंह पारधी
(7) श्री अभय कुमार मिश्रा
(8) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(9) श्री फूलसिंह बरैया
(10) श्रीमती अर्चना चिटनीस
(11) डॉ.हिरालाल अलावा
(12) श्री कमलेश्वर डोडियार
(13) श्री अनिरुद्ध (माधव) मारू
(14) डॉ.रामकिशोर दोगने
(15) श्री दिलीप सिंह परिहार

सभापति महोदया (श्रीमती अर्चना चिटनीस) पीठासीन हुईं.

(16) श्री रजनीश हरवंश सिंह
(17) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान
(18) श्री पंकज उपाध्याय
(19) डॉ.अभिलाष पाण्डेय

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

23. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि सदन के समय में एक घंटे की वृद्धि की जाय.

24. वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)

(20) श्री नारायण सिंह पट्टा
(21) श्री दिनेश गुर्जर
(22) श्री साहब सिंह गुर्जर
(23) श्री सुरेश राजे
(24) श्री अनिल जैन (कालूहेड़ा)

सभापति महोदय (डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए

(25) श्री राजेन्द्र भारती
(26) श्री महेश परमार

(27) श्रीमती सेना महेश पटेल

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए

(28) श्री भैरोंसिंह बापू
(29) श्री केदार चिड़ाभाई डाबर

25. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

26.वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)

(30) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(31) श्री दिनेश जैन ''बोस''
(32) श्री सिद्धार्थ तिवारी
(33) श्री कैलाश कुशवाह
(34) कुँवर अभिजीत शाह
(35) श्री देवेन्द्र रामनारायण सखवार
(36) श्री केशव देसाई
(37) श्री बाबू जण्डेल
(38) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर
(39) श्री चैन सिंह वरकड़े
(40) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(41) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे
(42) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार
(43) श्री उमंग सिंघार

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त ने चर्चा का उत्तर दिया.

27. अध्यक्षीय घोषणा
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रबंध मंडल के लिए निर्विरोध निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि श्री जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रबंध मंडल के लिए राज्य विधानसभा के तीन सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में घोषित किए गए क्रमानुसार नाम वापसी के पश्चात् केवल तीन उम्मीदवार शेष हैं उक्त कृषि विश्वविद्यालय के लिए तीन सदस्य ही निर्वाचित किए जाने हैं. अत: मैं निम्नानुसार सदस्यों को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रबंध मंडल के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं.

(1) श्रीमती मनीषा सिंह

(2) डॉं अभिलाष पांडे

(3) श्री नारायण सिंह पट्टा

अपराह्न 10.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई, 2024 (आषाढ़ 14 शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई, 2024 (आषाढ़ 14, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1,2,3,4,5,6,9,10,12,14,15,16,17) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 119 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 139 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. बहिर्गमन

श्री कालु सिंह ठाकुर, सदस्य के तारांकित प्रश्न संख्या 10, (क्र.1388) ''जल जीवन मिशन'' पर चर्चा के दौरान श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के सदस्यगण द्वारा जॉंच न कराए जाने एवं शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

3. अध्यक्षीय घोषणा

जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा और क्रियान्वयन किया जाना

प्रश्नकाल के तत्काल पश्चात् श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य के अनुरोध पर अध्यक्ष महोदय द्वारा शासन को यह निर्देश दिए गए कि –"प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बाद अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन प्रारंभ हुई है. यह आज की बड़ी आवश्यकता भी है क्योंकि जिस प्रकार से जल की स्थिति है, स्वच्छ जल हर आदमी को मिले यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी भी है. चूंकि केन्द्र सरकार ने यह योजना प्रारंभ की है और राज्य सरकार उसका क्रियान्वयन कर रही है. सभी सदस्यों की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि कहीं-न-कहीं हमें और ध्यान देने की आवश्यकता है. मेरा शासन से यह अनुरोध है कि कलेक्टर के स्तर पर नियमित समीक्षा और क्रियान्वित करने की बैठकें होना ही चाहिए, लेकिन राज्य स्तर पर भी इसकी समीक्षा कड़ाई से करनी चाहिए, जिसका फायदा आम जनमानस को भी होगा और राज्य शासन की छबि भी निखरेगी.''

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 25 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है. ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी. इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा. तद्नुसार –

(1) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य की खरगापुर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में फर्जी बिल व्हाऊचर लगाकर राशि का दुरूपयोग किये जाने,

(2) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की नर्मदापुरम् जिले में गृह विभाग की भूमि इंडियन कॉफी हाऊस को आवंटित करने से उत्पन्न स्थिति,

(3) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले में शासकीय कार्य समय-सीमा में न किये जाने,

(4) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य की मनावर नगर पालिका में लीज वाली वेशकीमती भूमि की फर्जी रजिस्ट्री कराये जाने,

(5) श्री विपिन जैन, सदस्य की मंदसौर स्थित पशुपतिनाथ की नगरी को ऐतिहासिक पुरातत्व,पर्यटन व धार्मिक नगर के रूप में विकसित किये जाने,

(6) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की मकरोनिया हाट बाजार में हाईमास्क लेम्प लगाये जाने,

(7) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की मण्डला जिले के हाईस्कूल मेढ़ा को उन्नयन न किये जाने,

(8) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की हरदा जिले के ग्राम आदमपुर में पावर स्टेशन का कार्य पूर्ण न होने,

(9) श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य की जिला दतिया स्थित सिंध नदी में भारी बाढ़ से क्षतिग्रस्त मंदिर एवं गौशाला का जीर्णोद्धार नहीं हो पाने,

(10) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की धार जिले की ग्राम पंचायत अमझेरा में पंचायत अनुमति उपरांत भी अवैध अतिक्रमण बताकर मकान तोड़ा जाने,

(11) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य की रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा में नहर का निर्माण कराये जाने,

(12) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य की प्रदेश में संचालित रोजगार कार्यालयों को सर्वसुविधा युक्त एवं विभिन्न तकनीकी से जोड़े जाने,

(13) श्री कमलेश्वर डोडियार, सदस्य की प्रदेश में आदिवासी मंत्रणा परिषद् की अनुशंसा एवं निर्णयों का पालन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति,

(14) श्री कैलाश कुशवाहा, सदस्य की शिवपुरी जिले में उद्योगों की कमी से उत्पन्न स्थिति,

(15) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य की प्रदेश में पटवारी भर्ती में हुई अनियमितताओं/भ्रष्टाचार के संबंध में,

(16) श्री फूल सिंह बरैया, सदस्य की मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले के भाण्डेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम उन्नाव में विकास कार्य न होने,

(17) श्री राजेश कुमार शुक्ला, सदस्य की छतरपुर शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर गौवंश आने के कारण सैकड़ों वाहन दुघर्टनाग्रस्त होने,

(18) श्रीयुत श्रीकांत चतुर्वेदी, सदस्य की मैहर से बरही सड़क मार्ग स्थित कुटेश्वर घाट पर पुल का निर्माण किये जाने,

(19) श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य की केवलारी क्षेत्र के पुल पर निर्माण किये जाने,

(20) डॉ. राजेन्द्र पांडेय, सदस्य की नगर पालिका जावरा में पीलिया खाल प्रदूषण मुक्त कार्य योजना अतंर्गत विभिन्न नालों का निर्माण कार्य पूर्ण न कराये जाने,

(21) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य की सेवढ़ा नगर के नगर इंदरगढ़ में यात्री बसों के कारण बाजार में जाम की स्थिति निर्मित होने,

(22) श्री शरद जुगलाल कोल, सदस्य की शहडोल जिले में शासन द्वारा गरीब लोगों को दिये जाने वाले पट्टों का पात्र हितग्राहियों को लाभ न मिलना,

(23) श्री मधु भाऊ भगत, सदस्य की प्रदेश में जल संसाधन एवं लोक निर्माण विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को नियमित न किये जाने,

(24) श्री दिनेश गुर्जर, सदस्य की बामौर स्थित अम्बा शक्ति एवं टायर फैक्ट्री व अन्य फैक्ट्रियों से निकले प्रदूषित पानी से किसानों की फसलों को नुकसान होने तथा

(25) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य की प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में परिवार नियोजन अभियान के शिविरों में मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं न मिल पाने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

5. अध्यक्षीय व्यवस्था

विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं

श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य ने माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि- ''कल हमें सदन में यह बताया गया था कि मंगलवार को नर्सिंग घोटाले के संबंध में ध्यान आकर्षण पर जो चर्चा हुई थी उसमें माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग के वक्तव्य के संबंध में माननीय सदस्य श्री सचिन यादव और मैंने आपको पत्र लिखा था कि उनके भाषण में भ्रमित जानकारी दी गई थी उसके संबंध में आपने हमें कल आश्वासन दिया था कि आप उसकी व्यवस्था देंगे.''

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि -''कल व्यवस्था मैंने दे दी थी. मुझे सूचना प्राप्त हो गई है. मैं परीक्षण कर आगे की कार्यवाही करूंगा. मैं समझता हूँ कि अब दोबारा इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है.''

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त ने -

(क) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 1

(ख) (i) मध्यप्रदेश वित्त निगम के 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं (ii) मध्यप्रदेश वित्त निगम का 68 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 पटल पर रखा.

(3) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने अधिसूचना क्रमांक एफ-7-0003-2024-सात-शा.7, भोपाल, दिनांक 14 मई, 2024 पटल पर रखा.

(4) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण मंत्री ने मध्यप्रदेश वेअर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का 19 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक वर्ष 2021-22 पटल पर रखे.

(5) श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखा.

(6) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखा.

(7) (मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत) श्री दिलीप अहिरवार, राज्य मंत्री, वन ने

(क) द मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 58 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21, तथा

(ख) डी.एम.आई.सी.पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखे.

7. ध्यानाकर्षण

(1) श्रीमती अर्चना चिटनीस, सदस्य ने बुरहानपुर नगर की जल आवर्धन योजना का कार्य पूर्ण न होने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया, श्रीमती प्रतिमा बागरी, राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य ने पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में रपटा एवं सड़क मार्गों का निर्माण न होने से पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री की ओर ध्यान आकर्षित किया, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

8. बधाई एवं शुभकामनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्वश्री रामेश्वर शर्मा एवं राजन मण्डलोई सदस्यों के जन्म दिन पर उन्हें अपनी और सदन की ओर से शुभकामनाएं दी गईं.

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार आज की कार्यसूची में पदक्रम 4 पर जिन याचिकाओं का उल्लेख किया गया है उनको प्रस्तुत किया हुआ माना जाएगा तद्नुसार निम्नांकित याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

(1) डॉ. अभिलाष पाण्डेय (जिला-जबलपुर)
(2) श्री फूलसिंह बरैया (जिला-दतिया)
(3) श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-बालाघाट)
(4) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
(5) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)
(6) श्रीमती उमादेवी खटीक (जिला- दमोह)
(7) श्री राजेन्द्र भारती (जिला- दतिया)
(8) श्री वीरसिंह भूरिया (जिला-झाबुआ)
(9) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)

(10) श्री प्रणय प्रभात पाण्डे (जिला- कटनी)
(11) श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला- अलीराजपुर)
(12) श्री विपीन जैन (जिला-मंदसौर)
(13) श्री अनिल जैन (जिला-निवाड़ी)
(14) श्री मथुरालाल डामर (जिला-रतलाम)
(15) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(16) श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-अनूपपुर)
(17) श्री विक्रम सिंह (जिला-सतना)
(18) श्री अरुण भीमावद (जिला- शाजापुर)
(19) श्री मधु भाऊ भगत (जिला-बालाघाट)
(20) श्री मोन्टू सोलंकी (जिला-बड़वानी)
(21) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(22) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला- निवाड़ी)
(23) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला- दतिया)
(24) श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला- शिवपुरी)
(25) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
(26) श्री देवेन्द्र नारायण सखवार (जिला-मुरैना)
(27) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला- सिवनी)
(28) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला- पन्ना)
(29) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
(30) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला- रतलाम)
(31) श्री ऋषि अग्रवाल (जिला-गुना)
(32) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला- खरगोन)
(33) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(34) श्री कैलाश कुशवाहा (जिला- शिवपुरी)
(35) श्री आरिफ मसूद (जिला-भोपाल)
(36) श्री राजेश कुमार शुक्ला (जिला-छतरपुर)
(37) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन (जिला-सागर)
(38) श्रीयुत श्रीकांत चतुर्वेदी (जिला-मैहर)
(39) श्री आतिफ आरिफ अकील (जिला-भोपाल)
(40) श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-टीकमगढ़)
(41) श्री महेन्द्र नागेश (जिला-नरसिंहपुर)
(42) श्री कामाख्या प्रताप सिंह (जिला-छतरपुर)
(43) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(44) श्री अमरसिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(45) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी (जिला-शाजापुर)
(46) डॉ. चिंतामणि मालवीय (जिला-रतलाम)
(47) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल (जिला-धार)
(48) श्रीमती रीती पाठक (जिला-सीधी)
(49) श्री केदार चिड़ाभाई डावर (जिला-खरगोन)
(50) श्री अभय कुमार मिश्रा (जिला-रीवा)
(51) श्री शरद जुगलाल कोल (जिला-शहडोल)
(52) श्री गोपाल सिंह (जिला-सीहोर)
(53) श्री राजन मण्डलोई (जिला-बड़वानी)
(54) श्री नारायण सिंह (जिला- मण्डला)

10. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में ग्वालियर के सांसद श्री भारत सिंह कुशवाह का सदन में स्वागत उल्लेख किया गया.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, राज्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024) पर विचार किया जाए.

(अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य को उक्त विधेयक पर विचार व्यक्त करने हेतु पुकारे जाने पर तत्समय उनकी अनुपस्थितिवश सदन की कार्यवाही अपराह्न 12.29 बजे से 10 मिनिट के लिए स्थगित की जाकर 12.40 बजे पुनः समवेत की गई)

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए

श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य द्वारा चर्चा में भाग लिया गया श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने चर्चा का उत्तर दिया.

12. अध्यक्षीय घोषणा

भोजनावकाश न होना, सहभोज और भुट्टा पार्टी का आयोजन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि-
(1) आज भोजनावकाश नहीं होगा. भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. अपनी सुविधा अनुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.
(2) आज दिनांक 5 जुलाई 2024 अपराह्न 7 बजे श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्यमंत्री के आवास क्रमांक- सी-21 शिवाजी नगर, भोपाल में सहभोज और भुट्टा पार्टी का आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम में सभी माननीय सदस्यगण आमंत्रित हैं.

13. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(विचार के प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया)

विचार का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ
खण्ड 2 से 68 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने

श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक, 2024 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

(2) श्रीमती कृष्णा गौर, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, राज्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024) पर विचार किया जाए.
मंत्री महोदया द्वारा इस संशोधन विधेयक के प्रावधानों की जानकारी देते हुए प्रारंभिक भाषण दिया गया.

विचार का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ
खण्ड 2 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने

श्रीमती कृष्णा गौर ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

(3) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 14 सन् 2024) पर विचार किया जाए.

श्री भंवर सिंह शेखावत एवं डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

{ सभापति महोदया (श्रीमती अर्चना चिटनीस) पीठासीन हुईं.}

श्री इन्दर सिंह परमार ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
खण्ड **2** इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड **1** इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने

श्री इन्दर सिंह परमार ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

(4) श्री लखन पटेल, राज्य मंत्री, पशुपालन एवं डेयरी ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024) पर विचार किया जाए

श्री जयवर्द्धन सिंह, डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय एवं श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए

श्री लखन पटेल ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
खण्ड **2** इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड **1** इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने

श्री लखन पटेल ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

(5) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 16 सन् 2024) पर विचार किया जाए.

श्री अभय कुमार मिश्रा सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री जगदीश देवड़ा ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
खण्ड **2** से **4** इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड **1** इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

(6) श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक, 2024 (क्रमांक 17 सन् 2024) पर विचार किया जाए.

श्री कैलाश कुशवाहा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री कैलाश विजयवर्गीय ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ
खण्ड **2** से **13** इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड **1** इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने

श्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक, 2024 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

14. आय-व्ययक वर्ष 2024-25 में उल्लेखित विभागीय अनुदान की मांगों पर मतदान के साथ अन्य आवश्यक शासकीय कार्य आज ही पूर्ण किया जाना संबंधी प्रस्ताव

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि-

"आय-व्ययक वर्ष 2024-25 के बजट पर कल सामान्य चर्चा में आसंदी की सहृदयता के फलस्वरूप

विस्तृत चर्चा हुई, सभी माननीय सदस्यों ने लगभग रात्रि 10 बजे तक, नौ घंटे से अधिक चर्चा में भाग लिया. मेरा यह सुझाव है कि यदि अध्यक्ष महोदय अनुमति दें और माननीय नेता प्रतिपक्ष भी सहमति दें तो सभी माननीय सदस्यों ने सभी विषयों पर चर्चा की ही है, इसलिए प्रस्ताव करता हूं कि अब बजट में शामिल शेष विभागीय मांगों पर मतदान तत्परता से पूर्ण कर तत्संबंधी विनियोग का पारण किया जाना या वित्तीय कार्य नियत समय सीमा में पूर्ण किया जाना आवश्यक है."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

15. वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर मुखबन्ध (गिलोटिन) : प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि – ''वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर उक्त प्रस्ताव के परिप्रेक्षय व वर्णित स्थिति में वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर अब मुखबन्ध (गिलोटिन) होगा. इस संबंध में मतदान हेतु सभी विभागों की अनुदान मांगें उप मुख्यमंत्री, वित्त एक साथ प्रस्तुत करेंगे तथा उन पर एक साथ मत लिया जाएगा.''

तद्नुसार, श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि- ''31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को-

अनुदान संख्या	-	001	सामान्य प्रशासन के लिए एक हजार, इक्तीस करोड़, दो लाख, छियासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	002	विमानन के लिए दो सौ तिरासी करोड़, पचपन लाख, इकहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	003	गृह के लिए ग्यारह हजार दो सौ अठासी करोड़, छियालीस लाख, अस्सी हजार रुपये
अनुदान संख्या	-	005	जेल के लिए सात सौ छब्बीस करोड़, चौरानवे लाख,

इक्कीस हजार रुपये,

अनुदान संख्या	-	011	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के लिए दो हजार आठ सौ बीस करोड़, सोलह लाख, चार हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	021	लोक सेवा प्रबंधन एक सौ इक्कीस करोड़, सड़सठ लाख रुपये,
अनुदान संख्या	-	025	खनिज साधन के लिए एक हजार चार सौ सोलह करोड़, उनसठ लाख, तिरासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	029	विधि और विधायी कार्य के लिए तीन हजार नौ सौ बीस करोड़, पचास लाख, पचहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	032	जनसंपर्क के लिए सात सौ छत्तीस करोड़, छह लाख सत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	041	प्रवासी भारतीय के लिए उन्नीस करोड़, पचास लाख, चौतीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	046	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए चार सौ बहत्तर करोड़, अठाइस लाख, चौसठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	048	नर्मदा घाटी विकास के लिए छह हजार तीन सौ छियालीस करोड़, तिहत्तर लाख, छब्बीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	057	आनंद के लिए पंद्रह करोड़, दो हजार रुपये
अनुदान संख्या	-	006	वित्त के लिए छब्बीस हजार सात सो उनतीस करोड़, तीस लाख, उन्नचास हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	007	वाणिज्यिक कर के लिए दो हजार छह सौ बीस करोड़, अठासी लाख, तिहत्तर हजार रुपये, एवं
अनुदान संख्या	-	031	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी के लिए नौ सौ अस्सी करोड़, नवासी लाख, चवालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	019	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए पंद्रह हजार पांच सौ आठ करोड़, इक्यावन लाख, बावन हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	052	चिकित्सा शिक्षा के लिए चार हजार नौ सौ तीस करोड़, बहत्तर लाख, चार हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	033	जनजातीय कार्य के लिए बारह हजार छह सौ तिरपन करोड़, सत्ताइस लाख, तेईस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	042	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास के लिए एक सौ अट्ठावन करोड़, सत्तर लाख, चौबीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	045	लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन के लिए इक्तीस करोड़, साठ लाख, चार हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	022	नगरीय विकास एवं आवास के लिए पंद्रह हजार दो सौ उनसठ करोड़, नब्बे लाख, चार हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	028	राज्य विधान मंडल के लिए एक सौ बयालीस करोड़, इकसठ लाख, अस्सी हजार रूपये,
अनुदान संख्या	-	018	श्रम के लिए एक हजार एक करोड़, उन्यासी लाख, बानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	030	ग्रामीण विकास के लिए अठारह हजार सात सौ छियालीस करोड़, पांच लाख, पैंसठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	040	पंचायत के लिए नौ हजार एक सौ तेईस करोड़, चौदह लाख, निन्यानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	024	लोक निर्माण कार्य के लिए दस हजार एक सौ उन्नीस करोड़, बयासी लाख, उनसठ हजार रुपये,

अनुदान संख्या	-	008	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय के लिए दस हजार दो सौ इक्कीस करोड़, इक्यावन लाख, चालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	027	स्कूल शिक्षा के लिए तैंतीस हजार पांच सौ बत्तीस करोड़, सत्ताईस लाख, बहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	036	परिवहन के लिए एक सौ उनहत्तर करोड़, चौतीस लाख, बीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	020	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए दस हजार दो सौ छिहत्तर करोड़, तिरानवे लाख, तैंतालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	023	जल संसाधन के लिए सात हजार दो सौ अड़तीस करोड़, सात लाख, तीन हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	013	किसान कल्याण तथा कृषि विकास के लिए उन्नीस हजार सात सौ सत्रह करोड़, बत्तीस लाख, एक हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	055	महिला एवं बाल विकास के लिए छब्बीस हजार पांच सौ उनसठ करोड़, अठानवे लाख, पचास हजार रुपये
अनुदान संख्या	-	039	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक हजार पांच सौ पंद्रह करोड़, छियासठ लाख, पांच हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	043	खेल और युवा कल्याण के लिए पांच सौ छियासी करोड़, इकतालीस लाख, छह हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	017	सहकारिता के लिए एक हजार नौ सौ उनहत्तर करोड़, तेरह लाख, अट्ठाइस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	034	सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण के लिए चार हजार छह सौ तीन करोड़, सतासी लाख, दो हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	050	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए पांच सौ अठारह करोड़, सतानवे लाख, अड़तालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	004	पर्यावरण के लिए अड़तीस करोड़, इकहत्तर लाख, बीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	010	वन के लिए चार हजार छह सौ पचासी करोड़, दो लाख, दो हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	049	अनुसूचित जाति कल्याण के लिए दो हजार तीन सौ छब्बीस करोड़, पचहत्तर लाख, नब्बे हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	012	ऊर्जा के लिए उन्नीस हजार दो सौ सड़सठ करोड़, तीन लाख, चवालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	009	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के लिए तिरसठ करोड़, पचासी लाख, अट्ठावन हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	035	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए एक हजार एक सौ अट्ठानवे करोड़, तेईस लाख, नवासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	044	उच्च शिक्षा के लिए तीन हजार आठ सौ छियासठ करोड़, बारह लाख, तिहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	038	आयुष के लिए आठ सौ पैंतालीस करोड़, अड़तीस लाख, आठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	047	तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) के लिए दो हजार छह सौ छियासठ करोड़, ग्यारह लाख, पैंतालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	015	घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति के लिए अड़तालीस

			करोड़, नौ लाख, बासठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	053	अल्प संख्यक कल्याण के लिए एक सौ छप्पन करोड़, इक्यावन लाख, उनतीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	054	पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए एक हजार चार सौ निन्यानवे करोड़, चौवन लाख तिरासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	026	संस्कृति के लिए एक हजार अस्सी करोड़, बहत्तर लाख, अट्ठानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	037	पर्यटन के लिए दो सौ बयासी करोड़, तैंतीस लाख, उन्नीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	051	धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिए एक सौ पंद्रह करोड़, इकतालीस लाख, बासठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	056	कुटीर एवं ग्रामोद्योग के लिए एक सौ बावन करोड़, अट्ठावन लाख, इक्यासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	014	पशुपालन एवं डेयरी के लिए दो हजार एक सौ उनचास करोड़, अठहत्तर लाख, इकतीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	016	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास के लिए दो सौ उनतीस करोड़, अट्ठासी लाख, छियासी हजार रुपये

तक की राशि दी जाय.''

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया.

अनुदान मांगों का प्रस्ताव (ध्वनिमत से) स्वीकृत हुआ.

16. गर्भगृह में प्रवेश एवं नारेबाजी

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण विभागवार मांगों पर चर्चा की मांग करते हुए गर्भगृह में आए तथा नारे बाजी की गई.

17. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2024 (क्रमांक 18 सन् 2024) पुर:स्थापित किया.इस पर चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :

1. श्री भंवरसिंह शेखावत
2. श्री फूलसिंह बरैया
3. श्री रजनीश हरवंश सिंह
4. श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल

{सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.}

5. श्री शैलेन्द्र जैन
6. श्री फुंदेलाल सिंह मार्को
7. श्री ओमप्रकाश सखलेचा
8. डॉ. रामकिशोर दोगने
9. श्री आशीष गोविन्द शर्मा
10. डॉ हिरालाल अलावा
11. श्री रमेश खटीक
12. श्रीमती सेना महेश पटेल
13. श्री साहब सिंह गुर्जर
14. श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर
15. श्री प्रताप ग्रेवाल
16. डॉ. अभिलाष पाण्डेय

17. श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल
18. श्री सुरेश राजे
19. श्री राजेश कुमार वर्मा
20. श्री महेश परमार
21. श्री गौरव सिंह पारधी
22. श्री कैलाश कुशवाहा
23. डॉ. प्रभुराम चौधरी
24. श्री उमाकांत शर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

25. श्री भैरोसिंह बापू
26. श्री कमलेश्वर डोडियार
27. श्री घनश्याम चंद्रवंशी
28. श्री देवेन्द्र रामनारायण सखवार

18. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि की जाना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्य सूची के बिन्दु क्रमांक 10 तक कार्यवाही पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई.

19. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

29. श्री यादवेन्द्र सिंह
30. श्री दिनेश जैन बोस
31. श्री चैन सिंह वरकड़े
32. श्री पंकज उपाध्याय
33. श्री लखन घनघोरिया
34. श्री नारायण सिंह पट्टा
35. श्री ऋषि अग्रवाल
36. श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे
37. श्री उमंग सिंघार

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त ने चर्चा का उत्तर दिया.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त, उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2024 (क्रमांक 18 सन् 2024) पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव (ध्वनिमत से) स्वीकृत हुआ

खण्ड **2**, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.

खण्ड **1** इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2024 (क्रमांक 18 सन् 2024) पारित किया जाए.

ध्वनिमत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

20. वर्ष 2014-15 के आधिक्य व्यय के विवरण का उपस्थापन

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2014-15 के दत्तमत अनुदान और भारित विनियोग पर आधिक्य व्यय के विवरण का उपस्थापन किया.

21. वर्ष 2014-15 के आधिक्य व्यय की अनुदान मांगों पर मतदान

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त ने प्रस्ताव किया कि-

" दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 2, 6 एवं 42 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त आधिक्य व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को चार सौ छत्तीस करोड़, बारह लाख, छिहत्तर हजार रूपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय. "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
आधिक्य मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

22. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2024 (क्रमांक 19 सन् 2024) पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2024 (क्रमांक 19 सन् 2024) पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड **2, 3** तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड **1** इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2024 (क्रमांक 19 सन् 2024) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

23. अध्यक्षीय घोषणा

अशासकीय संकल्प आगामी सत्र में लिए जाने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि आज की कार्य सूची में शामिल अशासकीय संकल्प आगामी सत्र में लिए जाएंगे.

24. विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाना : प्रस्ताव

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को यह सूचित किया कि – "विधान सभा के वर्तमान सत्र के लिए निर्धारित समस्त शासकीय, वित्तीय एवं अन्य आवश्यक कार्य पूर्ण हो चुके हैं. अत: मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 12-ख के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

25. बहिर्गमन

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा उनकी बात न सुने जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया.

26. राष्ट्रगान

'जन-गण-मन' का समूह-गान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का समूह-गान किया गया.

27. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किया जाना: घोषणा

अपराह्न 7.26 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 5 जुलाई, 2024